

16-2-18

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना दिनांक _____
23-3-18 को पेश हो।

म

23-3-18

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना दिनांक _____
27-4-18 को पेश हो।

17-5-2018

पत्रावली तलब दौकट पेश हुई पत्रावली
को शपथपत्र से प्राथमिक बयान रियॉर्ड
पूर्व में पेश दौकट शामिल पत्रावली
प्राथमिक बयान रियॉर्ड के मुताबिक
आवेदन डिस्मि जामी नही गई। पत्रावली
पर शॉर्ट कोर्ट अपेक्षा कार्रवाई नही होने
से फिल्ल मुगार दौकट दारिखल इच्छर
हो।

म

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

FP मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ...लाखेरी...
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- शुद्धी गरिमा लारा P.A.S.

दीशकाल

उत्तवान बनाम

जगन्नाथ वर्मा

दावा बाबत 53 P.T.D.
मुकदमा नम्बर:- 29/दावा 113
निर्णय दिनांक :- 23-6-2015

वादी की ओर से दीशकाल की व प्रतिवादी की ओर से जगन्नाथ
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख लाखेरी को शुद्धी गरिमा लारा (नम पीठासीन
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का दावा आनीस दीसि सिंग जाता है क्यारा कारीजर तहसीलदार इन्द्राह के माध्यम
व्यवसाय रिपोर्ट के जमाबन्दी सम्वर 2069 से 72 वारे शाग भोसपुरा के रगत स. 83 में
वर्तित आशानी कुल सम्वर सिंग-13 योग रकबा 1.35 हेक्टर कुल भूमि से ख.न 1101 रकबा
0.09 हे. ख.न. 1105 रकबा 0.02 हे. ख.न. 1116/1 में से 0.04 हेक्टर कुल सिंग 3 योग रकबा
0.15 हेक्टर वादी दीशकाल के दीसो में रहेगी। एव ख.न. 1113/1 रकबा 0.09 हेक्टर 1114/1 रकबा
0.10 हे. 1115 रकबा 0.11 हेक्टर ख.न. 1116/1 में से रकबा 0.12 हेक्टर ख.न. 1118 रकबा 0.07 हेक्टर
ख.न. 1119 रकबा 0.16 हेक्टर ख.न. 1123 रकबा 0.19 हे. ख.न. 1124 रकबा 0.09 हेक्टर ख.न.
1125 रकबा 0.10 हेक्टर ख.न. 1126 रकबा 0.08 हे. ख.न. 1127 रकबा 0.09 हेक्टर कुल सिंग-11 योग

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

P.T-6

म
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लाखेरी (बुन्दी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

रकबा 1.20 हेक्टर में परिवारी स. 1 हिस्सा 3/8 परिवारी स. 2 लम्बा 3 का हिस्सा 4/4 परिवारी स. 1, 4, 5 का हिस्सा 17/60 परिवारी स. 1, 4 व 5 लम्बा 7 का हिस्सा 11/120 साहित्य देह खाते दारान की रहेगी। शम्भू लाल धिया डीकार का हिस्सा स्टेट बैंक आफ वीमनेट एण्ड गजपुड शाखा इन्डगठ के रहन बाधण्डा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बुन्वी)

खतनाम

1. शम्भू लाल डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर तहसील इन्डगठ - वासी -
खनाम
2. जगन्नाथ डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर तहसील इन्डगठ
3. शोभागल डी. डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर
4. शम्भू लाल डी. डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर
5. बलन डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर
6. गिरीज डीकार जगदीश माली निवासी मोहनपुर तहसील इन्डगठ
7. शकरी पुत्री मंगला जगदीश माली निवासी मोहनपुर तहसील इन्डगठ
8. वरधी पुत्री मंगला
9. एच.बी.बी.जे. शम्भू इन्डगठ
10. राज-राज्य जगदीश माली निवासी मोहनपुर तहसील इन्डगठ

परिवारी गठ

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बुन्वी)

प्रा० मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भाउवेरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती समता त्रिपाठी PAS

हीशालाल

उनवान बनाम

जगन्नाथ वर्ग सह

दावा बाबत 53 PTA

मुकदमा नम्बर:- 29/दावा/13

निर्णय दिनांक :- 23-6-15

वादी की ओर से हीशालाल की व प्रतिवादी की ओर से जगन्नाथ वर्ग सह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-6-15 को श्रीमती समता त्रिपाठी (PAS) पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री दिया जाता है। तहसीलदार इन्डुगढ को कच्चाय कामिश्नर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि जगन्नाथ वर्ग सह 2065-68 में खाना सं. 86 में वर्गीकृत कुल 24.50 बिगा-13 योग 24.50 हेक्टर वाले शाम भोहनपुरा तहसील इन्डुगढ में वादी का नीट्टे हिस्सा 49 का खतब मजल नियम (18 तैश) द्वारा 53 के तहत पञ्चमशे की उपस्थिति में प्राथमिक कच्चाय कर पालना रिपोर्ट मय नक्या देख के डिक्री 11-9-15 से पूर्व न्यायालय हाजम पेश करे। भीका कामिश्नर को 2000 रूपये नीट्टे भी जातो है जो कच्चाय वाद का अंश है।

खची पक्षकाराने अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 23-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्रीमती
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लाखेरी (बन्दी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

